भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

राज्यसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 888

06.02.2026 को उत्तर के लिए नियत

ऑटोमोटिव और भारी इंजीनियरिंग क्षेत्र का संवर्धन

888 **श्री मदन राठौडः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में ऑटोमोबाइल और भारी इंजीनियरिंग क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में भारी उद्योगों के विकास के लिए क्या प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं;

(ग) इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन-कौन सी योजनाएँ कार्यान्वित की गई हैं;

(घ) राजस्थान में ईवी अथवा ऑटो कंपोनेंट क्लस्टरों की स्थापना में क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) आगामी वर्षों में राजस्थान को भारी उद्योग निवेशों का केंद्र बनाने के लिए प्रस्तावित रणनीति क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्रीनिवास वर्मा श्री भूपतिराजू)

(क): सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ऑटोमोबाइल क्षेत्र देश के वस्तु एवं सेवा कर राजस्व संग्रह में लगभग 15% का योगदान देता है। यह क्षेत्र देश में रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है, जिसमें संपूर्ण ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला में अनुमानित 30 मिलियन नौकरियां (प्रत्यक्ष: 4.2 मिलियन, अप्रत्यक्ष: 26.5 मिलियन) सृजित हैं। जनवरी से दिसंबर 2025 के दौरान भारत में ऑटोमोबाइल का उत्पादन, बिक्री और निर्यात निम्न प्रकार है:

भारत में ऑटोमोबाइल का उत्पादन, बिक्री और निर्यात (जनवरी-दिसंबर 2025)

(संख्या लाख में)

श्रेणी	उत्पादन	बिक्री	निर्यात
यात्री वाहन	53.8	44.9	8.6
वाणिज्यिक वाहन	11.1	10.3	0.9
तिपहिया वाहन	12.2	7.9	4.3
दुपहिया वाहन	255.0	205.0	49.4

(*स्रोत: सियाम)*

इसके अलावा, वर्तमान अनुमानों के अनुसार, पूंजीगत वस्तु उद्योग जीडीपी में लगभग 1.9% का योगदान देता है। राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण से घरेलू विनिर्माण क्षमताओं के विकास के लिए यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इस क्षेत्र के उत्पादन, आयात और निर्यात के आंकड़े निम्नलिखित हैं: (आंकड़े करोड़ रुपये में)

क्र.सं	**पूंजीगत वस्तुओं के उप-क्षेत्र**	**उत्पादन**	**आयात**	**निर्यात**
1	मशीन टूल्स	14,286	18,686	1,472
2	डाई, मोल्ड और प्रेस उपकरण	18,400	9,400	2,300
3	कपड़ा मशीनरी	10,461	16,417	2,242
4	मुद्रण मशीनरी	29,716	12,651	2,584
5	अर्थमूविंग और माइनिंग मशीनरी	80,750	4,250	6,800
6	प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनरी	4,827	4,405	2,428
7	खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी	15,249	10,850	4,562
8	प्रक्रिया संयंत्र उपकरण	31,505	7,645	10,968

(स्रोत: उद्योग संघ जैसे कि आईएमटीएमए, टीएजीएमए, टीएमएमए, आईपीएएमए, आईसीईएमए, पीएमएमएआई, एफटीपीएआई, पीपीएमएआई)

(ख): उद्योग राज्य का विषय है और केंद्र सरकार राजस्थान राज्य सहित देश के किसी भी हिस्से में भारी उद्योगों के विकास से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है। इसके अलावा, भारी उद्योग मंत्रालय की किसी भी स्कीम के तहत राज्यवार आवंटन नहीं है।

(ग): भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमें लागू की हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है:

1. भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम (पीएलआई-ऑटो): सरकार ने उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ इस स्कीम को 15.09.2021 को मंजूरी दी। इस स्कीम में न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) के साथ एएटी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव है।

2. पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट: 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली यह स्कीम ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-ट्रकों, ई-एम्बुलेंसों के लिए मांग प्रोत्साहन और ई-बसों के लिए अनुदान प्रदान करती है और चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देती है।

3. **भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के निर्माण को प्रोत्साहन देने की स्कीम (एसपीएमईपीसीआई):** भारत में इलेक्ट्रिक कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए यह स्कीम 15.03.2024 को अधिसूचित की गई थी। इसके लिए आवेदकों को न्यूनतम ₹4150 करोड़ का निवेश करना होगा और तीसरे वर्ष के अंत में न्यूनतम 25% और पांचवें वर्ष के अंत में न्यूनतम 50% का घरेलू मूल्यवर्धन प्राप्त करना होगा।

4. **उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए पीएलआई स्कीम:** सरकार ने 12.05.2021 को देश में एसीसी के विनिर्माण के लिए 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी। इस स्कीम का उद्देश्य 50 गीगावाट घंटे की एसीसी बैटरी के लिए एक प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है।

(घ): पीएलआई ऑटो और ऑटो कंपोनेंट स्कीम को अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया गया है और राजस्थान राज्य में अनुमोदित आवेदकों द्वारा 8 विनिर्माण स्थानों की जानकारी दी गई है।

पीएलआई एसीसी स्कीम, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम होने के नाते, सेल निर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए विशिष्ट स्थानों को परिभाषित या अनिवार्य नहीं करती है। लाभार्थी कंपनियां रणनीतिक व्यावसायिक आवश्यकताओं, बुनियादी ढांचे और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर अपने पसंदीदा स्थानों का चयन कर सकती हैं, जिससे पूरे भारत में सुविधाएं स्थापित करने में लचीलापन सुनिश्चित होता है। वर्तमान में, पीएलआई एसीसी स्कीम के अंतर्गत राजस्थान में कोई विनिर्माण इकाई स्थित नहीं है।

(ङ): भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

****